

13/4/18

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अधिवक्ता
अनुपस्थित। गैर सायल अवाक भगाई गई लेकिन
कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतिक्रमी को 25/02/18
को नोटिस तामिल हुआ उसके पश्चात अतिक्रमी
को अवाक। साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर
दिया गया लेकिन अतिक्रमी अथवा उनके
अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं
किया गया। इसको स्पष्ट है कि गैर सायल
इस संदर्भ में कुछ भी कहना नहीं चाहेगा
एवं किसी प्रकार का साक्ष्य (न्याय संगत)
भी नहीं है। अतः गैर सायलान को
अतिक्रमी घोषित किया जाता है। निर्णय
अलग से लिखा जाकर प्रस्तुत है।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया
पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर
से कम है।

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के
पृष्ठ सं. 2 पर क्र. सं. 2 पर जुमाना/फसल
निलामी राशि रु. 200 + 1500 की मांग दर्ज की गई।
1700

13-7-18
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सायल

~~नाथन तहसीलदार सिणधरी~~